Political Science
DP-I, Paper-II

Topic - "अमरीका के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया"

(Dr. D.N. Yadav)

संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति का पद विश्व की कार्यपालिकाओं में शक्ति और सम्मान की दृष्टि से अत्यन्त महत्व एवं प्रभाव का पद माना जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक ही है, संवैधानिक नहीं। परन्तु अमरीका के राष्ट्रपति में ये दोनों ही तत्व पाये जाते हैं। संविधान लागू होने के बाद से राष्ट्रपति की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है और वाशिंगटन से लेकर अबतक प्रत्येक राष्ट्रपति ने इसे अधिक शक्तिशाली बनाने में योग दिया है। Ogg के शब्दों में- "The American President has become the greatest ruler of the world."

राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं :-

राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा, जो -

(i) संयुक्त राज्य अमरीका का जन्मजात नागरिक हो।
(ii) उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।
(iii) वह अमरीका का 14 वर्ष तक नागरिक रहा हो (यह आवश्यक नहीं है कि वह 14 वर्षों तक निरन्तर अमरीका में रहा हो) वरन् कुल मिलाकर उसके द्वारा अपने जीवन के 14 वर्ष अमरीका में व्यतीत किये हुए होने चाहिए।

वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं :-

उन्मुक्तियाँ :-

कार्यकाल :- राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 2, भाग 1 में 4 वर्ष निर्धारित की गयी है। संविधान निर्माण करते समय राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया

गया था। 22 वाँ संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर नहीं चुना जा सकता है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन :-

वर्तमान समय में राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनायी जाने वाली पद्धति के प्रमुखतया पाँच चरण हैं :-

(1) उम्मीदवारों का मनोनयन :- इस चरण में राजनीतिक दल राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों का मनोनयन करते हैं। 1840 से प्रत्येक राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का मनोनयन विविध राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा किया जाने लगा।.....

(2) चुनाव अभियान :- राष्ट्रीय सम्मेलन समाप्त होने के पूर्व घोषित उम्मीदवार के पक्ष में एक समिति का गठन किया जाता है जो कि अपना एक अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष निर्वाचित करती है। इस समिति का प्रमुख कार्य घोषित उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करना है।.....

(3) निर्वाचक मंडल का चुनाव :- दोनों दलों द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए अपने-अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। निर्वाचक मंडल के इन उम्मीदवारों को शपथ लेनी होती है कि चुनाव जीतने पर वे अपने दल के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को ही वोट देंगे। 23वें संशोधन द्वारा कोलम्बिया जिले के 3 सदस्य निर्वाचक मंडल के लिए चुनने का अधिकार दे दिया गया है। इस संशोधन से अब निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 538 हो गयी है। राज्यों में निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली (List System) के आधार पर होता है।.....

(4) निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव :— निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव केवल एक औपचारिकता है क्योंकि निर्वाचक मंडल के सदस्य दलीय प्रतिज्ञा से बँधे होते हैं। ऑग एवं रे के शब्दों में, "निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने राजनीतिक दल की रिकॉर्डिंग मशीन मात्र होते हैं।"

सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गिनती करता है और औपचारिक रूप से जीतने वाले उम्मीदवार की घोषणा करता है।

जब किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत न मिले :— यदि राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत (Absolute majority) न मिले तो पहले तीन उम्मीदवारों में से प्रतिनिधि सभा किसी एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुन सकता है। उस समय प्रतिनिधी सभा में प्रत्येक राज्य का केवल एक मत होता है।

(5) नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण :— 1933 के 20वें संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति 4 मार्च के बजाय 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। इसी संशोधन द्वारा यह भी निश्चित किया गया है कि यदि नव निर्वाचित राष्ट्रपति की अपने पद पर आसीन होने से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बन जाएगा।

नये राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करते समय शपथ लेनी होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।